एलपीजी वितरकों की नियुक्ति के लिए सूचना

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि. (आईओसीएल), भारत पैट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. (बीपीसीएल) एवं हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. (एचपीसीएल) संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़ में विभिन्न श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों से निम्नलिखित स्थानों पर विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत एलपीजी वितरकों की नियुक्ति का प्रस्ताव रखते हैं :

क्र. सं.	ऑयल कम्पनी	स्थान	जिला	श्रेणी*	बाज़ार का प्रकार शहरी / शहरी ग्रामीण / ग्रामीण	प्रतिभूति राशि (₹ लाख में)	विपणन योजना
1	एचपीसी	चंडीगढ़ (सेक्टर 52)	संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़	एससी	शहरी	5.0	1994–96
2	एचपीसी	चंडीगढ़ (सेक्टर 35)	संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़	ओ	शहरी	5.0	निरस्तीकरण के विरुद्ध
3	आईओसी	चंडीगढ़	संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़	एससी	शहरी	5.0	निरस्तीकरण के विरुद्ध
4	आईओसी	चंडीगढ़	संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़	ओ	शहरी	5.0	निरस्तीकरण के विरुद्ध

***प्रयुक्त नामावली इस प्रकार है :–**

ओ – खुली श्रेणी

एससी / एसटी – अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति श्रेणी

ओबीसी – अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी

ओ (जीपी) – रक्षा कार्मिक, केन्द्रीय / राज्य सरकार के कर्मचारी एवं केन्द्रीय / राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों सहित सरकारी कार्मिक श्रेणी जो खुली श्रेणी में आते हैं।

ओ (सीसी) – शारीरिक विकलांग (पीएच), उत्कृष्ट खिलाड़ी (ओएसपी) एवं स्वतंत्रता सेनानी (एफएफ) सहित संयुक्त श्रेणी जो खुली श्रेणी में आते हैं।

एससी / एसटी (जीपी) – रक्षा कार्मिक, केन्द्रीय / राज्य सरकार के कर्मचारी एवं केन्द्रीय / राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों सहित सरकारी कार्मिक श्रेणी जो अनु. जाति / अनु. जनजाति श्रेणी में आते हैं।

एससी / एसटी (सीसी) – शारीरिक विकलांग (पीएच), उत्कृष्ट खिलाड़ी (ओएसपी) एवं स्वतंत्रता सेनानी (एफएफ) सहित संयुक्त श्रेणी जो अनु. जाति / अनु. जनजाति श्रेणी में आते हैं।

ओबीसी (जीपी) – रक्षा कार्मिक, केन्द्रीय / राज्य सरकार के कर्मचारी एवं केन्द्रीय / राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों सहित सरकारी कार्मिक श्रेणी जो अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में आते हैं।

ओबीसी (सीसी) – शारीरिक विकलांग (पीएच), उत्कृष्ट खिलाड़ी (ओएसपी) एवं स्वतंत्रता सेनानी (एफएफ) सहित संयुक्त श्रेणी जो अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में आते हैं।

1. **व्यक्तिगत और गैर–व्यक्तिगत एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं**

   व्यक्तिगत आवेदक होने की स्थिति में नियुक्ति पर एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप संयुक्त रुप से आवेदक एवं उसके पति / पत्नी के नाम होगी, (अर्थात पत्नी / पति सह–स्वामी होगें)। यदि आवेदक अविवाहित / तलाकशुदा / विधवा / विधुर है तो उसे वचन–पत्र देना होगा कि विवाह / पुनः विवाह के उपरांत पति / पत्नी सह–स्वामी होगें। सह–स्वामी का अर्थ है कि पति / पत्नी आयु, शैक्षिक योग्यता एवं रोजगार की शर्त बिना 50% के हिस्सेदार होगें। व्यक्तिगत आवेदक को पति–पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी के साथ हिस्सेदारी की अनुमति नहीं होगी।

   गैर–व्यक्तिगत आवेदक का अर्थ है, सरकारी निकाय / एजेंसियां, संगठित निकाय, सोसाइटी जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत हों, चैरिटेबल ट्रस्ट जो संबंधित राज्य सरकार के चैरिटी कमीशनर के साथ पंजीकृत हो, कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत गठित कम्पनियां।

2. सभी पात्र आवेदकों में से एलपीजी वितरकों का चयन ड्रॉ के आधार पर किया जाएगा। सभी आवेदक जो पात्रता मापदंड पूर्ण करते हों वे ड्रॉ के लिए पात्र होंगें।

3. **एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के प्रचालन हेतु आवश्यक मूलभूत सुविधाएं।**

   क. सिलेंडरों में एलपीजी भण्डारण के लिए गोदाम

   एलपीजी वितरक को सिलेंडरों में 8000 किलो ग्राम एलपीजी के भण्डारण के लिए पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) के मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा विधिवत अनुमोदित और लाइसेंस प्राप्त भण्डारण गोदाम की आवश्यकता होगी।

   आवेदक के स्वामित्व में :

   सिलेंडरों में 8000 किलो ग्राम एलपीजी के भण्डारण के लिए एलपीजी के गोदाम के निर्माण हेतु न्यूनतम 25 मीटर X 30 मीटर के माप का एक भूखण्ड (प्रस्तावित स्थान की नगरपालिका / कस्बे / गाँव की सीमा के 15 कि.मी. भीतर, उसी राज्य में) होना चाहिए। गोदाम के निर्माण के लिए न्यूनतम 25 मीटर X 30 मीटर के माप का भूखण्ड नहीं होने पर इस पर विचार नहीं किया जाएगा।

   या

   8000 किलो ग्राम क्षमता के एलपीजी सिलेंडर भण्डारण का तैयार गोदाम (प्रस्तावित स्थान की नगरपालिका / कस्बे / गाँव की सीमा के 15 कि.मी. भीतर, उसी राज्य में) होना चाहिए।

   ख. शोरुम

   शोरुम का न्यूनतम माप 3 मीटर X 4.5 मीटर हो जोकि मानक ले आउट के अनुसार एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए विज्ञापन में निर्दिष्ट स्थान या विज्ञापित स्थल पर स्थित एक दुकान / भूमि पर बनाया जाना है और जहाँ उपयुक्त पहुंच मार्ग द्वारा आम जनता आसानी से पहुंच सकती हो।

4. चयन प्रक्रिया के विवरण सहित पात्रता के विस्तृत दिशानिर्देश, एलपीजी गोदाम के लिए भूमि / एलपीजी गोदाम की मूलभूत ढाँचे की आवश्यकताएँ, शोरुम, सिलेण्डरों को घर तक पहुँचाने के लिए मूलभूत ढ़ाँचा इत्यादि विवरणिका में दिए गये हैं जिसे ₹ 50 / – के भुगतान पर **पैरा 9** में उल्लिखित पते से व्यक्तिगत रूप से प्राप्त किया जा सकता है। इन्हें आईओसीएल, बीपीसीएल एवं एचपीसीएल की वेबसाईट– **www.iocl.com, www.ebharatgas.com, www.bharatpetroleum.in** एवं **www.hindustanpetroleum.com** से भी निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है।

5. विवरणिका के साथ आवेदन का प्रारुप व्यक्तिगत रुप से **नीचे दिए गए पैरा 9 में** उल्लिखित पते से प्राप्त किया जा सकता है। इसे ऑयल कम्पनियों की वेबसाइट पर भी दिया गया है जिसे निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है।

6. पात्रता मापदंडों को पूरा करने वाले सभी व्यक्ति प्रारुप के अनुरुप आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन सादे कागज पर अपेक्षाकृत टाइप किया हुआ अथवा साफ लिखाई में प्रारुप के अनुरुप होना चाहिए।

7. आवेदन करते समय आवेदक विभिन्न स्थानों के लिए आवेदन कर सकते हैं जिसके लिए प्रत्येक स्थान हेतु उन्हें अलग से आवेदन के साथ निर्धारित आवेदन शुल्क देना होगा।

8. आवेदन ₹ 1000 / – (रु. एक हजार मात्र) के अप्रतिदेय शुल्क के साथ जमा करना होगा और अ.जा. / अ.ज.जा. आवेदकों के (अ.जा. / अ.ज.जा. प्रमाण पत्र संलग्न करें) लिए ₹ 500 / – (रु. पांच सौ मात्र)

9. एलपीजी वितरकों के लिए आवेदन सभी संलग्नकों सहित सभी दृष्टि से पूर्ण एवं अप्रतिदेय आवेदन शुल्क के साथ जो किसी अनुसूचित बैंक से आहरित डिमांड ड्राफ्ट / पे ऑर्डर के रूप में नीचे लिखित पते पर कार्यालय बंद होने से पूर्व **दिनांक 31.10.2013** तक पहुंच जाने चाहिए।

विज्ञापित स्थान क्रम संख्या से	विज्ञापित स्थान क्रम संख्या तक	किसी भी अनुसूचित बैंक का डिमांड ड्राफ्ट / पे आर्डर निम्न के नाम हो	देय स्थान	संलग्नकों सहित एवं आवेदन फीस के साथ आवेदन जमा करने के लिए कार्यालय का पता
1	2	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जींद	वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एलपीजी बॉटलिंग प्लांट, पोस्ट बॉक्स न. 5 रोहतक रोड, जींद, हरियाणा–126102
3	4	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	चंडीगढ़	वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, इंडेन एरिया ऑफिस, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमडी), प्लॉट–6ए, तेल भवन, सेक्टर 19बी, मध्य मार्ग, चंडीगढ़–160019

10. शिकायत / शिकायत निवारण प्रणाली

आवेदक के खिलाफ प्राप्त शिकायतों का निपटान निम्नानुसार किया जाएगा :

क. शिकायतकर्ताओं को संबंधित ओएमसी के पक्ष में ₹1000 / – का शिकायत शुल्क डिमांड ड्राफ्ट के रूप में शिकायत के साथ जमा करना होगा। जिन शिकायतों के साथ ₹ 1000 / – की राशि संलग्न नहीं होगी उनकी जांच नहीं की जाएगी।

ख. आम तौर पर गुमनाम शिकायतों की जांच नहीं की जाएगी।

ग. आवेदकों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों की जांच केवल तभी की जाएगी यदि आवेदक को ड्रॉ में चुना जाता है।

घ. शिकायतों पर विचार केवल तभी किया जाएगा यदि इन्हें ड्रॉ के परिणाम घोषित होने की तिथि से 30 दिनों के अंदर ओएमसी कार्यालय में प्राप्त किया जाता है।

ङ यदि चुने गए प्रत्याशी के खिलाफ शिकायत प्राप्त होती है किन्तु यह ड्रॉ के परिणाम घोषित होने की तिथि से 30 दिनों के अंदर प्राप्त होती है तो इसकी जांच की जाएगी और उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

11. सामान्य

क. कंपनी बिना कोई कारण बताए स्वेच्छापूर्वक इस विज्ञापन को रद्द / वापस लेने / संशोधित करने अथवा निर्धारित तिथि को बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

ख. आवेदक एक स्थान के लिए केवल एक ही आवेदन कर सकते हैं। यदि व्यक्ति के एक से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो उन्हें समाहित करके एक ही आवेदन माना जाएगा और अन्य सभी आवेदनों का शुल्क ज़ब्त कर लिया जाएगा।

ग. आवेदक शपथ पत्र सहित आवेदन के सभी पन्नों पर संख्या अंकित करके उन पर हस्ताक्षर करेंगे। **आवेदन के साथ सभी शपथ पत्रों / वचन पत्रों की मूल प्रतियां संलग्न करनी होगी।**

घ. आवेदन प्रारूप में मांगे गए दस्तावेज़ों को ही आवेदन के साथ जमा करें। आवेदन के साथ संलग्न अन्य किसी दस्तावेज़ों पर विचार नहीं किया जाएगा।

ङ. डाक में देरी सहित अंतिम तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। संबंधित ऑयल कंपनी द्वारा इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

च. 'खुली' श्रेणी के अंतर्गत विज्ञापित स्थानों को छोड़कर अन्य के लिए पात्रता प्रमाणपत्र आवेदन के साथ अवश्य जमा करना होगा। जबकि रक्षा कार्मिक श्रेणी के तहत आवेदन करने वाले आवेदकों के पास लॉट के ड्रॉ के दिन भी डीजीआर से प्राप्त मूल पात्रता प्रमाणपत्र जमा करने का विकल्प होगा।

छ. यदि आवेदन पत्र में अथवा उसके साथ संलग्न किए गए दस्तावेज़ में या आवेदन पत्र के संदर्भ में बाद में किसी भी स्तर पर प्रत्याशी द्वारा दी गई कोई सूचना छुपाई गई हो / गलत रूप से पेश की गई हो / गलत या झूठी पाई जाती है जो योग्यता पर प्रतिकूल असर डालती हो तो आवेदन पत्र को कोई कारण बताए बिना निरस्त कर दिया जाएगा और यदि आवेदक डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में नियुक्त कर लिया जाता है तो उसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप समाप्त कर दी जाएगी। ऐसे मामले में प्रत्याशी / डिस्ट्रीब्यूटर संबंधित ऑयल कंपनी के विरुद्ध कोई दावा नहीं कर सकेंगे।

ज. चुने गए प्रत्याशियों को ₹ 25000 / – या ₹ 50000 / – जैसा लागू हो, की राशि उसके विवरणों की फील्ड सत्यापन (एफवीसी) से पहले संबंधित तेल कंपनियों के पास जमा करानी होगी। यदि चयनित प्रत्याशी उक्त राशि को जमा कराने में असफल रहता है तो उसका चयन रद्द कर दिया जाएगा। यदि आवेदन में दी गई सूचना असत्य / गलत / भ्रामक पाई जाती है तो चयनित प्रत्याशी द्वारा एफवीसी से पहले जमा की गई राशि को जब्त करने के साथ प्रत्याशी का चयन रद्द हो जाएगा।

झ. आवेदक को आवेदन पत्र के विभिन्न मदों में उल्लिखित सभी जानकारियां देनी चाहिए। यदि चुना जाता है तो आवेदक को सत्यापन के समय आवेदन में दी गई जानकारी के समर्थन में सभी मूल दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे। सत्यापन के समय इन दस्तावेज़ों को मूल रूप में प्रस्तुत करने में असफल रहने पर चुने गए प्रत्याशी द्वारा विवरणों के फील्ड सत्यापन (एफवीसी) से पहले जमा की गई राशि ज़ब्त होने के साथ चयन रद्द हो जाएगा।

ञ. विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र भेजे जाने वाले लिफ़ाफ़े पर बड़े अक्षरों में निम्न प्रकार से लिखा जाना चाहिए :
''यह आवेदन पत्र .... (स्थान) पर .... (ऑयल कंपनी का नाम) के एलपीजी वितरक के लिए है।''

ट. यह पूर्णतः एक व्यापारिक प्रस्ताव है और संबंधित ऑयल कंपनी में किसी नौकरी के लिए आवेदन नहीं है और इसमें सामान्य व्यापार के जोखिम हैं और यह किसी प्रकार के निश्चित लाभ अथवा प्रतिलाभ की गारंटी नहीं देता है।

ड. यह मात्र एक आवेदन है और किसी प्रकार की एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप का ऑफर नहीं है।